

NOTICE

Several queries/ grievances are being received by MCC/ MoHFW through email/ phone calls regarding change of FAQ's which was put up on the website on 09.04-2018. In this regard it is to inform all candidates that the change of FAQ's/ Scheme of counseling was necessitated keeping in view the Gazette of India published by MCI on 5th April, 2018 (URL Link- <https://old.mciindia.org/Rules-and-Regulation/Gazette%20Notifications%20-%20Amendments/PGME-05.04.2018.pdf>) wherein the matrix has been made on Page-12 of the gazette stating the Rules & Regulations to be followed for AIQ/ Deemed/ Central Universities & State Quota Counseling. Hence MCC is bound to follow the regulations of matrix as shown in the Gazette (P-12). This is for the information of all the candidates.

Notice Posted on: - 10-04-2018



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 5, 2018/चैत्र 15, 1940

No. 144]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 5, 2018/CHIATRA 15, 1940

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2018

सं. भा.आ.प.-18(1)/2018-मेड./100818.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000” में पुनः संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः-

- (i) ये विनियम, “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2018” कहे जाएंगे।
(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000” के “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करना और उनकी मान्यता” शीर्षक के अंतर्गत खंड 6(1), (2) और (3) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(1) कोई स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने या पहले से चल रहे पाठ्यक्रम में वार्षिक प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने का इच्छुक कोई संस्थान, अधिनियम की धारा 10 क के अंतर्गत केंद्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करेगा। स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई पूर्वानुमति क्रमशः चार और तीन शैक्षिक वर्षों के लिए होगी। परंतु यह कि मेडिकल कालेजों/संस्थानों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे मान्यता प्रदान किए जाने के तीन वर्ष अर्थात् भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम अनुसूची में की गई एमबीबीएस शैक्षिक योग्यता के शामिल किए जाने की तारीख से तीन वर्ष के अंदर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए आवेदन करें। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए अनुबद्ध समय के अंदर आवेदन करने में विफल रहने पर, एम बी बी एस शैक्षिक योग्यता की मान्यता वापस लेनी आवश्यक हो जाएगी।

परंतु यह भी कि कोई ऐसे मेडिकल कालेज/चिकित्सा संस्थान, जो अननुमोदन की स्थिति में कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए आवेदन करने के आगामी वर्षों के लिए दो और अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके पश्चात केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने में विफल रहने पर, एमबीबीएस शैक्षिक योग्यता की मान्यता वापस लेनी आवश्यक हो जाएगी।

परंतु यह भी कि मौजूदा कालेजों को आवेदन करने का समय उपलब्ध कराने की दृष्टि से, उपर्युक्त, शैक्षिक वर्ष 2020-21 से प्रस्तुत की गई योजना पर लागू होगा।

- (2) संस्थान, स्नातकोत्तर चिकित्सा शैक्षिक योग्यता की मान्यता के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय के जरिए केंद्र सरकार को आवेदन करेगा, जब दाखिल किया गया प्रथम बैच, संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में बैठने के लिए नियत होगा।

मूल्यांकन में कमियां पाए जाने की स्थिति में संस्थान को, परिषद् द्वारा कमियों के संसूचन की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुपालन प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। कमियों का अनुपालन करने के ऐसे अवसर का लाभ संस्थान द्वारा केवल दो बार लिया जाएगा। अनुपालन के संतोषजनक पाए जाने पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति, पाठ्यक्रम को मान्यता देने की अनुशंसा संसूचित करेगी। अन्य सभी मामलों में, उप-खंड (1) के अंतर्गत प्रदान की गई केंद्र सरकार की पूर्वानुमति, स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए क्रमशः चार और तीन वर्षों के पश्चात व्ययगत हुई मानी जाएगी। इसके अलावा, ऐसे मामलों में, केंद्र सरकार से, स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के केवल प्रथम चार बैचों और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के तीन बैचों के संबंध में, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम अनुसूची में शैक्षिक योग्यताएं शामिल करने की अनुशंसा की जाएगी।

- (3) उप-खंड 2 में यथा अपेक्षित समय से मान्यता प्राप्त करने में विफल रहने की स्थिति में संबंधित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला बंद कर दिया जाएगा।

मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त करने में संस्थान के विफल रहने की स्थिति में, परिषद् केंद्र सरकार से निवारक शास्ति लगाने की अनुशंसा कर सकती है, जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रति सीट दस लाख रुपये और/या संस्थान के अन्य स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के बंद किए जाने और/या किसी विनिदितर अवधि के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने या सीटों में वृद्धि करने के लिए आवेदन करने से संस्थान को विवर्जित करने और/या एमबीबीएस में प्रवेश क्षमता को कम करने तक हो सकती है।”

3. “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000” के “सामान्य” शीर्षक के अंतर्गत खंड 8(1) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारंभण से पहले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यताप्राप्त चिकित्सा संस्थान, आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक (एम बी बी एस) पाठ्यक्रम चलाने के लिए मान्यताप्राप्त मेडिकल कालेज और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित चिकित्सा संस्थान, स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम आरंभ करने या पहले से चल रहे किसी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के पात्र होंगे।

परंतु यह कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एमबीबीएस डिग्री प्रदान करने के लिए मान्यता प्रदान न किए गए मेडिकल कालेजों के लिए यह अनुमति होगी कि वे तीसरे नवीनीकरण के समय अर्थात् एमबीबीएस पाठ्यक्रम के चौथे बैच के दाखिले के साथ प्रि-नैदानिक और पारा-नैदानिक विषयों नामतः शरीररचना-विज्ञान; शरीरक्रिया-विज्ञान; जीवरसायन; भेषज-विज्ञान; रोग-विज्ञान; सूक्ष्मजीव-विज्ञान; फारेंसिक मेडिसिन; और कम्यूनिटी मेडिसिन में और चौथे नवीनीकरण के समय अर्थात् एमबीबीएस पाठ्यक्रम के

लिए पांचवे बैच के दाखिले के साथ नैदानिक विषयों नामतः निश्चेतना संचेतनाहर-विज्ञान; त्वचारोग-विज्ञान; रतिजरोग विज्ञान एवं कुष्ठ रोग; जनरल मेडिसिन, बालरोग; मनश्चिकित्सा; विकिरण निदान; रेडिएशन ऑनकोलोजी; श्वसनी मेडिसिन; नाक-कान-गला रोग-विज्ञान; जनरल सर्जरी; नेत्ररोग-विज्ञान; अस्थि रोग; प्रसूति एवं स्त्रीरोग-विज्ञान में किसी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए आवेदन कर सकें।”

4. “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000” में “स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थी के चयन की प्रक्रिया” शीर्षक के अंतर्गत विनियम 9 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“प्रस्तावना

1. भारत की संसद ने, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 को संशोधित कर दिया है। राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात यह संशोधन अधिनियम, 5 अगस्त 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में धारा 10 घ और धारा 33 (ड ख) जोड़ दी है। उक्त उपबंध में, “नामित प्राधिकारी” द्वारा स्नातक-पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शैक्षिक संस्थानों में एक समान प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था दी गई है। इस संशोधन के बल पर संसद ने, दिनांक 27 दिसंबर, 2010, 27 फरवरी, 2012 और 23 अक्टूबर, 2012 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित संशोधनों द्वारा “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997” में शामिल की गई राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (जिसे इसमें आगे “नीट” कहा गया है) की विधायी पुनीतता का उपबंध किया है।
2. पहले, नीट से संबंधित उपबंध, क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैल्लोर और अन्य [2012 की टीसी (सी) संख्या 98 और 114 अन्य संबंधित याचिकाओं] के मामले में दिनांक 18 जुलाई, 2013 के अपने निर्णय के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् और भारत की संघ सरकार द्वारा दायर की गई एक पुनर्विचार याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने, ‘भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् बनाम क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैल्लोर और अन्य’ शीर्षक वाली 2013 की पुनर्विचार याचिका (सिविल) संख्या 2059-2268 में दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के अपने आदेश के अंतर्गत नीट विनियमावली को पुनरजीवित कर दिया। शैक्षिक वर्ष 2017-18 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबंधों और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरजीवित नीट विनियमावली के आधार पर और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 की शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा, स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शैक्षिक संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा है और स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शैक्षिक संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा बनी रहेगी।

9. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:-

- (1) प्रत्येक शैक्षिक वर्ष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शैक्षिक संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा नामतः ‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा’ होगी और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र पत्रवेक्षण के अधीन आयोजित की जाएगी।

(2) “राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा” आयोजित करने के लिए ‘नामित प्राधिकारी’ राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित कोई अन्य निकाय/संगठन होगा।

(3) किसी शैक्षिक वर्ष के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु पात्र बनने की दृष्टि से किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उक्त शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित की गई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु पात्रता ‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा’ में 50 वें पर्सेंटाइल पर न्यूनतम अंक प्राप्त करे। तथापि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में न्यूनतम अंक 40 वें पर्सेंटाइल पर होंगे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बैंच मार्क विकलांगताओं वाले अभ्यर्थियों के संबंध में न्यूनतम अंक सामान्य श्रेणी के लिए 45 वें पर्सेंटाइल पर और अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.के लिए 40 वें पर्सेंटाइल पर होंगे। पर्सेंटाइल, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा’ में अखिल भारतीय सामूहिक मेरिट सूची में प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

परंतु यह कि जब संबंधित श्रेणियों में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए किसी शैक्षिक वर्ष हेतु आयोजित राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में यथा विनिर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के परामर्श से केंद्र सरकार अपने विवेक पर, संबंधित श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक कम कर सकती है और केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार कम किए अंक केवल उसी शैक्षिक वर्ष के लिए लागू होंगे।

(4) संबंधित श्रेणियों के लिए, मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में सीटों का आरक्षण, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रचलित लागू होने वाले कानूनों के अनुसार होगा। पात्र अभ्यर्थियों की अखिल भारतीय मेरिट सूची और राज्य-वार मेरिट सूची, ‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा’ में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी और अभ्यर्थियों को केवल उक्त मेरिट सूचियों से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिल किया जाएगा।

परंतु यह कि ऐसे अभ्यर्थियों, जो सरकार/लोक प्राधिकरण की सेवा में हैं, की मेरिट निर्धारित करने में, ‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा’ में प्राप्त अंकों के अधिकतम 30% तक, दूर-दराज के और/या दुर्गम क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए, प्राप्त अंकों के 10% तक एक प्रोत्साहन के रूप में सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंकों में भारांश दिया जा सकता है। दूर-दराज के और/या दुर्गम क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र वह होंगे जो समय-समय पर राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किए गए हों।

(5) वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5% सीटें, स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा’ की मेरिट सूची के आधार पर, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार बैंचमार्क विकलांगताओं वाले व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी।

किसी शैक्षिक वर्ष के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु पात्र बनने की दृष्टि से किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उक्त शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित की गई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु पात्रता ‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा’ में 50 वें पर्सेंटाइल पर न्यूनतम अंक प्राप्त करे। तथापि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में 40 वें पर्सेंटाइल पर न्यूनतम अंक होंगे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अविनिर्दिष्ट बैंच मार्क विकलांगताओं वाले अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य श्रेणी के लिए न्यूनतम अंक 45 वें पर्सेंटाइल पर और अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.के लिए 40 वें पर्सेंटाइल पर होंगे।

(6) किसी ऐसे अभ्यर्थी, जो ऊपर उप-खंड (3) में यथा विनिर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है, को उक्त शैक्षिक वर्ष में किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिल नहीं किया जाएगा।

(7) गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में, कुल सीटों में से 50% (पचास प्रतिशत) सीटें राज्य सरकार या उनके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा भरी जाएंगी और शेष 50% (पचास प्रतिशत) सीटें “राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश-परीक्षा” में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई गई मेरिट सूची के अनुसार संबंधित मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों द्वारा भरी जाएंगी।

(8) स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50% सीटें, सरकारी सेवा में ऐसे चिकित्सा अधिकारियों के लिए आरक्षित होंगी, जिन्होंने दूर-दराज के और/या दुर्गम क्षेत्रों और/या ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्ष तक सेवा की है।

स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात ये चिकित्सा अधिकारी, समय-समय पर राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा परिभाषित दूर-दराज के और/या दूर्गम्य क्षेत्रों में दो और वर्ष तक सेवा करेंगे।

(9) विश्वविद्यालय और अन्य संबंधित प्राधिकारी, दाखिले की प्रक्रिया ऐसे तरीके से आयोजित करेंगे कि सामान्य विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों में हर वर्ष 1 मई तक और अति विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों में 1 अगस्त तक अध्यापन आरंभ हो जाए। इस उद्देश्य के लिए वे परिशिष्ट III में दर्शायी गई समय अनुसूची का पालन करेंगे।

(10) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 31 मई के पश्चात और अति विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों के लिए 31 अगस्त के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी शैक्षिक सत्र के संबंध में छात्रों का कोई दाखिला नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय उक्त तारीखों के पश्चात दाखिल किए गए किसी छात्र का पंजीकरण नहीं करेंगे।

(11) कोई भी प्राधिकारी/संस्थान, इन विनियमों द्वारा यथा विनिर्धारित मापदंड/प्रक्रिया का उल्लंघन करके और/या दाखिलों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का उल्लंघन करके, किसी स्नातकोत्तर मेडिसिन पाठ्यक्रम में किसी अभ्यर्थी को दाखिल नहीं करेगा। उपर्युक्त का उल्लंघन करके दाखिल किए गए किसी अभ्यर्थी को परिषद् द्वारा तुरंत निकाल दिया जाएगा। ऐसे प्राधिकारी/संस्थान, जो इन विनियमों और/या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का उल्लंघन करके किसी छात्र को दाखिला प्रदान करता है, उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जा सकेगी जो परिषद् द्वारा विनिर्धारित की जाए, जिसमें आगामी शैक्षिक वर्ष/वर्षों के लिए उसकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता से, किए गए ऐसे दाखिलों की सीमा के समतुल्य सीटों का अभ्यर्पण शामिल है।”

5. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली में 9 क (3) के पश्चात निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा:-

9 क (4) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए सामूहिक परामर्श में सीट ब्लाकिंग और परामर्श के दौरान नया विकल्प चुनने की अनुमति रोकने की दृष्टि से, शुल्क की जब्ती, परिशिष्ट-III में दिए गए मापदंडों के अनुसार होगी।

6. “ स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000” में, स्टाफ संकाय शीर्षक के अंतर्गत खंड 11.1 (क) में निम्नलिखित

अभिवर्धन किया जाएगा, दूसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

“न्यूनतम अपेक्षित स्टाफ (सामान्य विशेषज्ञता):

(प्रथम इकाई)

1-प्रोफेसर

1-एसोसिएट प्रोफेसर

1-सहायक प्रोफेसर

1-वरिष्ठ रेजीडेंट

2-कनिष्ठ रेजीडेंट

विभाग की बाकी इकाइयों (बहु-इकाई विभागों में) का अध्यक्ष प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हो सकता है और बाकी दो संकाय सदस्य, एक वरिष्ठ रेजीडेंट तथा दो कनिष्ठ रेजीडेंटों के अलावा सहायक प्रोफेसर हो सकते हैं।

उपर्युक्त परिभाषा, श्वसनी मेडिसिन/त्वचारोग-विज्ञान, रतिजरोग-विज्ञान, कुष्ठ रोग/नेत्ररोग-विज्ञान/नाक कान गला रोग-विज्ञान आदि जैसे दिवा देखभाल सेवाओं वाले विभागों/गंभीर देखभाल वाले विभागों पर लागू नहीं होगी। परिषद् ने स्नातकोत्तर में सभी विभागों में रेजीडेंटों की शर्त शामिल करने का भी निर्णय लिया है।

7. “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000” में ‘स्टाफ संकाय’ शीर्षक के अंतर्गत खंड 11.1 (ख) में निम्नलिखित

अभिवर्धन किया जाएगा, तीसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

“न्यूनतम अपेक्षित स्टाफ (अति विशेषज्ञता):

(प्रथम इकाई)

1-प्रोफेसर

1-एसोसिएट प्रोफेसर

1-सहायक प्रोफेसर

1-वरिष्ठ रेजीडेंट

2-कनिष्ठ रेजीडेंट

विभाग की बाकी इकाइयों (बहु-इकाई विभागों में) का अध्यक्ष, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हो सकता है और बाकी दो संकाय सदस्य, एक वरिष्ठ रेजिडेंट तथा दो कनिष्ठ रेजिडेंटों के अलावा सहायक प्रोफेसर हो सकते हैं।

8. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" के "दाखिल किए जाने वाले स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या" शीर्षक के अंतर्गत खंड 12(1) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा/उसमें निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

दूसरे पैराग्राफ में "रेडियोथेरेपी" शब्द "रेडिएशन ऑनकोलॉजी" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

तीसरे पैराग्राफ के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

"यह भी कि गैर-सरकारी मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सा संस्थानों में उक्त अनुपात के आधार पर सीटों की वृद्धि के लिए किए गए आवेदनपत्र पर केवल तभी विचार किया जाएगा, यदि उस कॉलेज/संस्थान की-

1. 15 वर्ष की स्टैंडिंग है;
2. वह 10 वर्ष से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाला होना चाहिए;
3. उसे मान्यता के मूल्यांकन की कम से कम एक निरंतरता संतोषजनक ढंग से पूरी कर लेनी चाहिए; और
4. यदि वह सीटों की वृद्धि के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 10क के अंतर्गत आवेदन करता है जो केवल संकाय सदस्य, रेजिडेंट, नैदानिक सामग्री और अवसंरचनात्मक सुविधाओं आदि के वास्तविक सत्यापन के पश्चात ही प्रदान की जाएगी।

9. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" के "प्रशिक्षण कार्यक्रम" शीर्षक के अंतर्गत खंड 13(2) की तीसरी पंक्ति में "प्रत्येक शैक्षिक वर्ष" शब्द निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किए जाएंगे:-

"6 महीने की शैक्षिक अवधि"

10. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" के "परीक्षा" शीर्षक के अंतर्गत खंड 14 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"डिग्री की परीक्षाओं के लिए सभी चार प्रश्नपत्रों और डिप्लोमा परीक्षा में तीन प्रश्नपत्रों में सिद्धांत के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40% और संचयी रूप से कम से कम 50% अंक प्राप्त करना। उक्त डिग्री/डिप्लोमा परीक्षा, जैसा भी मामला हो, में कुल मिलाकर, उत्तीर्ण होने के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में परिशिष्ट में, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (सामान्य विशेषज्ञता) के लिए शैक्षिक वर्ष 2018-19 में दाखिला अनुसूची के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी:-

टिप्पणी:-

1. कार्य आरंभ की अंतिम तारीख अर्थात् 10 मई के पश्चात खाली बची अखिल भारतीय कोटा सीटें, राज्य सरकार के कोटे में परिवर्तित मानी जाएगी।
2. 28 फरवरी के पश्चात अनुमत संस्थान/कालेज/पाठ्यक्रमों पर चालू शैक्षिक वर्ष के लिए दाखिले/सीटों के आबंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
3. किसी भी परिस्थितियों में, दाखिले/कार्य आरंभ की अंतिम तारीख, 31 मई के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी।
4. उपर्युक्त समय-सारणी का निष्ठापूर्वक पालन करने के उद्देश्य के लिए शनिवार, रविवार या अवकाशों (राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर) को कार्य दिवस के रूप में माना जाएगा।
5. परामर्श के दौरान नया विकल्प चुनने की छात्रों की अनुमेयता के संबंध में निम्नलिखित मापदंड लागू होंगे:

चक्र	निःशुल्क निर्गमन	शुल्क की जव्ती के साथ निर्गमन	आगे परामर्श के लिए अपात्र	पंजीकरण शुल्क की धनराशि
ए.आई.क्यू.// मानित	✓			
ए.आई.क्यू.//मानित		यदि कार्य आरंभ नहीं किया	यदि कार्य आरंभ कर दिया	सरकारी-25,000/- रु. (अ.जा./अ. ज. जा./अ.पि.व. के लिए आधी) मानित 2,00,000/- रुपये
राज्य कोटा I	✓			
राज्य कोटा II		यदि कार्य आरंभ नहीं किया	यदि कार्य आरंभ कर दिया	सरकारी-25,000/- रु. (अ.जा./अ. ज. जा./अ.पि.व. के लिए आधी) प्राइवेट 2,00,000/- रुपये
राज्य कोटा मोप-अप			✓	
मानित मोप-अप			✓	

12. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" की अनुसूची में, क्रम संख्या 25 पर खंड 'क' के अंतर्गत 'एम डी (रेडियोथेरेपी)' का नाम बदल कर निम्नलिखित किया जाएगा:-

"एम डी (रेडिएशन ऑनकोलोजी)"

डॉ. रीना नय्यर, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन III/4/असा./18/17]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली नामतः "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" दिनांक 7 अक्टूबर, 2000 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 03/03/2001, 06/10/2001, 16/03/2005, 23/03/2006, 20/10/2008, 25/03/2009, 21/07/2009, 17/11/2009, 09/12/2009, 16/04/2010, 08/12/2010, 27/12/2010 09/02/2012, 27/02/2012, 28/03/2012, 17/04/2013, 01/02/2016, 17/06/2016, 08/08/2016, 31/01/2017, 11/03/2017, 06/05/2017, 27/06/2017 और 31/07/2017 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th April, 2018

No. MCI-18(1)/2018-Med./100818.— In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000.” namely:-

1. (i) These regulations may be called the “Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2018”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. Clause 6(1), (2) & (3) under the heading “Starting of postgraduate Medical Courses and their recognition” of the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000”, shall be substituted as under:-

“(1) An institution intending to start a post-graduate medical education course or to increase the annual intake capacity in an already ongoing course shall obtain the prior permission of the Central Government under section 10A of the Act. The prior permission granted by the Central Government for Postgraduate Degree/Postgraduate Diploma courses shall be for four and three academic years respectively
Provided that it shall be incumbent upon Medical Colleges/Medical Institutions to make an application for starting of Post-graduate medical education courses within three years of grant of recognition, i.e., three years from the date of inclusion of the MBBS qualification awarded by the Medical College in the First Schedule of the Indian Medical Council Act, 1956. Failure to make an application for starting of Postgraduate courses within the stipulated time shall entail the withdrawal of recognition of MBBS qualification.

Provided further that a Medical College/Medical Institution that makes an application for starting of a Postgraduate course in the eventuality of disapproval shall be granted two more opportunities for the succeeding years to make an application. Failure to obtain permission of the Central Government thereafter shall entail the withdrawal of Recognition of MBBS qualification.”

Provided further that above shall be applicable to the scheme submitted from the academic year 2020-21 onwards, in order to provide time to the existing colleges to apply.

- (2) The Institution shall apply for recognition of the Post Graduate Medical qualification to the Central Government through the affiliating University, when the first admitted batch shall be due to appear for the examination to be conducted by the affiliating University.

In the event of deficiencies being found in the assessment, the Institution shall be granted an opportunity to submit compliance within 30 days from the date of communication of deficiencies by the Council. Such an opportunity to comply with the deficiencies shall be availed by the Institute only twice. The Postgraduate Medical Education Committee on finding the compliance satisfactory shall convey the recommendation to recognize the course. In all others cases, the prior permission of the Central Government granted under sub-clause (1) shall be deemed to have lapsed after four and three years for Postgraduate Degree/Postgraduate Diploma courses respectively. Further, in such cases; recommendation shall be made to the Central Government to include the qualifications in the First Schedule of the Indian Medical Council Act, 1956 only in respect of first four batches of Postgraduate Degree Courses and three batches of Postgraduate Diploma courses.

- (3) Failure to seek timely recognition as required in sub-clause 2 shall invariably result in stoppage of admission to the concerned Post Graduate course.

In the event of failure of the institute to seek recognition for existing Post Graduate courses, the Council may recommend to the Central Government for imposition of exemplary penalty which may extend to Rupees ten lakhs per seat of the postgraduate course; and/or stoppage of other postgraduate Medical courses of the Institution; and/or debar the Institution from making any application for starting or increase of seats in postgraduate courses for a specified period; and/or reducing the intake capacity in MBBS.”

3. Clause 8(1) under the heading “General” of the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000”, shall be substituted as under:-

“The Medical Institution recognized under the Indian Medical Council Act, 1956 for running post-graduate courses prior to the commencement of the Indian Medical Council (Amendment) Act, 1993; the Medical

Colleges recognised for running Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) course; and the Medical Institutions established by the Central Government for the purpose of imparting postgraduate medical education shall be eligible for starting a post-graduate medical education course or to increase the intake capacity in any already ongoing postgraduate medical education course.

Provided that it shall be permissible for Medical Colleges not yet recognized for the award of MBBS degree under the Indian Medical Council Act, 1956 to apply for starting of a Post-graduate medical education course in pre clinical and para clinical subjects, namely, Anatomy; Physiology; Biochemistry; Pharmacology; Pathology; Microbiology; Forensic Medicine; and Community Medicine at the time of third renewal i.e., alongwith the admission of fourth batch for the MBBS course; and in clinical subjects, namely, Anaesthesiology; Dermatology, Venerology and Leprosy; General Medicine; Paediatrics; Psychiatry; Radio-diagnosis; Radiation Oncology; Respiratory Medicine; Otorhinolaryngology; General Surgery; Ophthalmology; Orthopaedics; Obstetrics & Gynaecology, at the time of fourth renewal, i.e., along with the admission of fifth batch for the MBBS course.”

4. In the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000”, in Regulation 9 under the heading “Procedure for selection of candidate for Postgraduate courses” shall be substituted as under:-

Preamble

1. The Parliament of India has amended the Indian Medical Council Act, 1956 by the Indian Medical Council (Amendment) Act 2016. This Amendment Act after receiving the assent of the President has been notified in the Gazette of India on 5th August 2016. The Indian Medical Council (Amendment) Act 2016 has inserted section 10 D and section 33 (mb) to the Indian Medical Council Act, 1956. The said provision provides for a uniform entrance examination to all medical educational institutions at the under graduate level and post graduate level by the “designated authority”. By virtue of this Amendment the Parliament has provided legislative sanctity to the National Eligibility-Cum-Entrance Test [hereinafter “NEET”] included in the Post-Graduate Medical Education Regulations, 1997 by Amendments notified in the Official Gazette on 27th December 2010, 27th February 2012 and 23rd October 2012.
 2. Earlier the provisions relating to NEET were quashed by the Hon`ble Supreme Court vide its judgment dated 18th July 2013 in Christian Medical College Vellore & Ors. (TC (C) No. 98 of 2012 and other 114 connected petitions). However, on a Review Petition preferred by the Medical Council of India and the Union of India, the Hon`ble Supreme Court vide its order dated 11th April 2016 in Review Petition (c) Nos. 2059-2268 of 2013 captioned as Medical Council of India vs. Christian Medical College Vellore & Ors. has revived NEET Regulations. The admission to postgraduate courses for the academic year 2017-18 were conducted on the basis of provisions of the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2016 and the NEET Regulations revived by the Hon`ble Supreme Court and in the Terms of the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2016 the National Eligibility-cum-Entrance Test is the uniform entrance examination to all medical educational institutions at the post graduate level and shall continue to be the uniform entrance examination to all medical educational institutions at the post graduate level.
- 9. Procedure for selection of candidate for Postgraduate courses shall be as follows:-**

- (1) There shall be a uniform entrance examination to all medical educational institutions at the Postgraduate level namely ‘National Eligibility-cum-Entrance Test’ for admission to postgraduate courses in each academic year and shall be conducted under the overall supervision of the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India.
- (2) The “designated authority” to conduct the ‘National Eligibility-cum-Entrance Test’ shall be the National Board of Examination or any other body/organization so designated by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
- (3) In order to be eligible for admission to Postgraduate Course for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the ‘National Eligibility-Cum-Entrance Test for Postgraduate courses’ held for the said academic year. However, in respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile. In respect of candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the minimum marks shall be at 45th percentile for General Category and 40th percentile for SC/ST/OBC. The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the All India Common merit list in National Eligibility-cum-Entrance Test for Postgraduate courses.

Provided when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks as prescribed in National Eligibility-cum-Entrance Test held for any academic year for admission to Postgraduate Courses, the Central Government in consultation with Medical Council of India may at its

discretion lower the minimum marks required for admission to Post Graduate Course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for the academic year only.

- (4) The reservation of seats in Medical Colleges/institutions for respective categories shall be as per applicable laws prevailing in States/Union Territories. An all India merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in National Eligibility-cum-Entrance Test and candidates shall be admitted to Postgraduate Courses from the said merit lists only.

Provided that in determining the merit of candidates who are in service of government/public authority, weightage in the marks may be given by the Government/Competent Authority as an incentive upto 10% of the marks obtained for each year of service in remote and/or difficult areas or Rural areas upto maximum of 30% of the marks obtained in National Eligibility-cum Entrance Test. The remote and/or difficult areas or Rural areas shall be as notified by State Government/Competent authority from time to time.”.

- (5) 5% seats of annual sanctioned intake capacity shall be filled up by persons with benchmark disabilities in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, based on the merit list of National Eligibility-Cum-Entrance Test for admission to Postgraduate Medical Courses.

In order to be eligible for admission to Postgraduate Course for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the ‘National Eligibility-Cum-Entrance Test for Postgraduate courses’ held for the said academic year. However, in respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile. In respect of candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the minimum marks shall be at 45th percentile for General Category and 40th percentile for SC/ST/OBC.

- (6) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as prescribed in Sub-Clause (3) above shall be admitted to any Postgraduate courses in the said academic year.
- (7) In non-Governmental medical colleges/institutions, 50% (Fifty Percent) of the total seats shall be filled by State Government or the Authority appointed by them, and the remaining 50% (Fifty Percent) of the seats shall be filled by the concerned medical colleges/institutions on the basis of the merit list prepared as per the marks obtained in National Eligibility-cum-Entrance Test.”
- (8) 50% of the seats in Postgraduate Diploma Courses shall be reserved for Medical Officers in the Government service, who have served for at least three years in remote and /or difficult areas and / or Rural areas. After acquiring the Postgraduate Diploma, the Medical Officers shall serve for two more years in remote and /or difficult areas and / or Rural areas as defined by State Government/Competent authority from time to time.
- (9) The Universities and other authorities concerned shall organize admission process in such a way that teaching in broad speciality postgraduate courses starts by 1st May and for super speciality courses by 1st August each year. For this purpose, they shall follow the time schedule indicated in Appendix-III.
- (10) There shall be no admission of students in respect of any academic session beyond 31st May for postgraduate courses and 31st August for super speciality courses under any circumstances. The Universities shall not register any student admitted beyond the said date.
- (11) No authority / institution shall admit any candidate to any postgraduate medicine course in contravention of the criteria / procedure as laid down by these Regulations and / or in violation of the judgements passed by the Hon’ble Supreme Court in respect of admissions. Any candidate admitted in contravention / violation of aforesaid shall be discharged by the Council forthwith. The authority / institution which grants admission to any student in contravention / violation of the Regulations and / or the judgements passed by the Hon’ble Supreme Court, shall also be liable to face such action as may be prescribed by the Council, including surrender of seats equivalent to the extent of such admission made from its sanctioned intake capacity for the succeeding academic year / years.”.

5. In the Postgraduate Medical Education Regulations following clause shall be added after 9A(3):-

9A(4) In order to prevent seat blocking in common counseling for admission to Postgraduate Courses and permissibility to exercise fresh choice during Counseling, forfeiture of fee shall be in accordance with the matrix contained in appendix-III.

6. In the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000”, the following additions in clause 11.1(a) under the heading Staff – Faculty, the following shall be added after the second proviso:

Minimum staff required (Broad speciality):

(First Unit)

1-Professor

1-Associate Professor

1- Assistant Professor

1-Senior Resident

2-Junior Resident

Remaining units of the department (in multi unit departments) can be headed by Professor or Associate Professor and remaining two faculties can be Assistant Professor in addition to one Senior Resident and two Junior Resident.

The above definition shall not apply to the Departments of Critical Care/Departments with day care services such as Respiratory Medicine/ Dermatology Venereology Leprosy/Ophthalmology/Otorhinolaryngology etc. The Council also decided to include the requirement of Residents in all departments in the Postgraduate..

7. In the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", the following additions in clause 11.1(b) under the heading Staff – Faculty, the following shall be added after the third proviso:

Minimum staff required (Super-speciality):

(First Unit)

1-Professor

1-Associate Professor.

1- Assistant Professor

1-Senior Resident

2-Junior Resident

Remaining units of the department (in multi-unit departments) can be headed by Professor or Associate Professor and remaining two faculties can be Assistant Professor in addition to one Senior Resident and two Junior Resident.

8. Clause 12(1) under the heading "Number of Postgraduate students to be admitted " of the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", following shall be substituted/added:-

The word Radiotherapy shall be substituted as "Radiation Oncology" in 2nd paragraph

After Third paragraph following shall be added:-

Provided further that in non-governmental Medical Colleges/Medical Institution, the application for increase of seats on the basis of said ratio shall be considered only if the College/Institute:-

1. Has a standing of 15 years
2. Should be running the Postgraduate course since 10 years
3. Should have completed atleast 1 continuance of recognition assessment satisfactorily and
4. Applies u/s 10A of the Indian Medical Council Act, 1956 for increase of seats which would be granted only after physical verification of faculty, resident, clinical material and infrastructural facilities etc.

9. Clause 13(2) under the heading "TRAINING PROGRAMME" of the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", in third line "each academic year" shall be substituted as under:-

"Academic Term of 6 months"

10. Clause 14 under the heading "EXAMINATION" of the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", following shall be substituted as under:-

Obtaining a minimum of 40% marks in each theory paper and not less than 50% cumulatively in all the four papers for degree examinations and three papers in diploma examination. Obtaining of 50% marks in Practical examination shall be mandatory for passing the examination as a whole in the said degree/diploma examination as the case may be.

11. In the Postgraduate Medical Education Regulations, 2000, in appendix the following note shall be added below the Admission schedule from the academic year 2018-19 onwards for Postgraduate Courses (broad Speciality):-

Note:

1. All India Quota Seats remaining vacant after last date for joining, i.e 10th May will be deemed to be converted into State Quota.
2. Institute/College/Courses permitted after 28th February will not be considered for admission/allotment of seats for current academic year.
3. In any circumstances, last date for admission/joining will not be extended after 31st May.
4. For the purpose of ensuring faithful obedience to the above time-schedule, Saturday, Sunday or Holidays (except National Holiday) shall be treated as working day.
5. The following Matrix shall be applicable with regard to permissibility to students to exercise fresh choice during counseling: -

Round	Free Exit	Exit with forfeiture of fees	Ineligible for further counselling	Amount of registration fee
AIQ I/Deemed	✓			
AIQ II / Deemed		If not joined	If joined	Government – Rs. 25,000 (half for SC/ST/OBC) Deemed – Rs. 2,00,000
State Quota I	✓			
State Quota II		If not joined	If joined	Government – Rs. 25,000 (half for SC/ST/OBC) Private – Rs. 2,00,000
State Quota Mop- Up			✓	
Deemed Mop-Up			✓	

12. In Schedule of the Postgraduate Medical Education Regulations, 2000, under Clause “A” at Sl.No. 25, the nomenclature of “MD(Radio-Therapy)” is changed to

“MD (Radiation Oncology)”.

Dr. REENA NAYYAR, Secy. (I/c)
[ADVT. III/4/Exty./18/17]

Footnote: The Principal Regulations namely, “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 7th Oct., 2000 and amended *vide* Medical Council of India Notification dated 03/03/2001; 06/10/2001; 16/03/2005; 23/03/2006; 20/10/2008; 25/03/2009; 21/07/2009; 17/11/2009; 09/12/2009; 16/04/2010; 08/12/2010; 27/12/2010; 09/02/2012; 27/02/2012; 28/03/2012; 17/04/2013; 01/02/2016; 17/06/2016; 08/08/2016; 31/01/2017; 11/03/2017; 06/05/2017; 27/06/2017 and 31/07/2017

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.04.07
14:17:57 +05'30'